**म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड**
**26,किसान भवन,अरेरा हिल्स,भोपाल**

क्रमांक /बी-5/2/ई-अनुज्ञा (ऑ.ला.)/2019-20/Part-03/ 1251 भोपाल, दिनांक 04/11/2019

प्रति,

श्री संजीव श्रीवास्तव
सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति जावरा
जिला रतलाम

विषयः–फर्म– रतन एग्री फूड्स प्रायवेट लिमिटेड के द्वारा प्राप्त मण्डी फीस से छूट की ई–अनुज्ञा पोर्टल पर प्रविष्टि के संबंध में।

–0–

कृपया आप अपने पत्र क्रमांक– 2158 दिनांक 5.10.2019 एवं पत्र कमांक– 2159 दिनांक 5.10.2019 का अवलोकन करें, जिसमें फर्म– रतन एग्री फूड्स प्रायवेट लिमिटेड द्वारा प्राप्त की गई मण्डी फीस की छूट की त्रुटिपूर्ण जानकारी को राशि रुपये 73.00 लाख के स्थान पर राशि रुपये 27.44 लाख संशोधित कराया गया है। इसी प्रकार रतन एग्री फूड्स के भुगतान पत्रक में भाव के स्थान पर वजन की त्रुटि बताकर उसका संशोधन कराया गया है। इस संबंध में कृपया निम्नानुसार जानकारी स्पष्ट करें :–

(1) फर्म– रतन एग्री फूड्स प्रायवेट लिमिटेड द्वारा प्राप्त की गई मण्डी फीस की छूट केवल जावरा मण्डी में खरीदी मात्रा पर प्राप्त की गई अथवा जावरा मण्डी क्षेत्र के बाहर की मण्डी अथवा अन्य जिलों से क्रय की गई कृषि उपज जो अनुज्ञा से फर्म द्वारा जावरा मण्डी तक लाई गई है, उस पर प्राप्त छूट भी शामिल है।

(2) आपके पत्र में यह भी स्पष्ट नहीं है कि उक्त फर्म द्वारा जावरा मण्डी क्षेत्र के बाहर से क्रय की गई कृषि उपज पर संबंधित मण्डी में छूट प्राप्त की गई अथवा मण्डी शुल्क अदा करके टेक्स पेड कृषि उपज जावरा मण्डी में लाई गई है।

(3) यह जरूरी नहीं है कि फर्म के द्वारा जावरा मण्डी के अंतर्गत खरीदी/क्रय की गई कृषि उपज पर प्राप्त मण्डी शुल्क की छूट की पात्रता होगी। फर्म द्वारा जावरा मण्डी क्षेत्र के बाहर प्रदेश की किसी भी मण्डी क्षेत्र में कृषि उपज खरीदी गई है और छूट का दावा संबंधित मण्डी में प्रस्तुत किया गया है तत्पश्चात अनुज्ञा के माध्यम से कृषि उपज को जावरा में लाया है, ऐसी छूट भी शामिल की जावेगी।

(4) फर्म का प्लांट जिस मण्डी क्षेत्र में स्थित है उस मण्डी क्षेत्र की मण्डी समिति की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह उक्त फर्म द्वारा मण्डी क्षेत्र के बाहर अन्य मण्डी क्षेत्रों से कृषि उपज खरीदकर कितना मण्डी शुल्क मण्डी शुल्क की छूट प्राप्त की गई है, संकलित करें और फर्म से शपथ–पत्र प्राप्त करे कि उसने अन्य मण्डी क्षेत्र से

मण्डी छूट प्राप्त की गई है अथवा नहीं की गई है और फर्म द्वारा प्राप्त की गई सभी मण्डियों की छूट ई–अनुज्ञा पोर्टल पर दर्ज की जाएगी।

(5) ई–अनुज्ञा पोर्टल में भुगतान पत्रक की प्रविष्टि त्रुटिपूर्ण है। इसमें यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि यदि वजन के स्थान पर भाव अंकित होता है तो यह उसी कर्मचारी को ज्ञात होना चाहिए कि एक दिन में एक विक्रेता इतनी बड़ी मात्रा कैसे विक्रय करेगा। इसके अलावा क्रेता द्वारा विक्रेतावार भुगतान पत्रक तैयार कर मण्डी में प्रस्तुत किए जाते हैं और आनलाइन भी होते हैं। भुगतान पत्रक में यह किस तरह त्रुटि हुई है उसमे इसकी भी समीक्षा की जाना चाहिए।

(6) यह उल्लेखनीय है कि जावरा मण्डी में ही फर्म से त्रुटियां होती है, जिसके द्वारा बड़ी मात्रा खरीदी जाती है। अगर यह त्रुटि संभव है तो छोटे क्रेताओं की खरीदी में गलतियों की संभावना अधिक होगी, इसकी समीक्षा आपके द्वारा नहीं की गई है।

(7) फर्म– रतन एग्री फूड्स प्रायवेट लिमिटेड द्वारा आवेदन प्रस्तुत करके मण्डी को भुगतान पत्रक में त्रुटि की गई है, स्वयं बताया गया है, परन्तु मण्डी समिति भुगतान पत्रकों की समीक्षा करती उसे यह तथ्य संज्ञान में नहीं आई है। यह स्थिति कतई स्वीकार योग्य नहीं है। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि और भी क्रेताओं के भुगतान पत्रक में भिन्नता हो सकती है, जिसका मण्डी सचिव स्वयं समीक्षा करे। फर्म– रतन एग्री फूड्स प्रायवेट लिमिटेड द्वारा मण्डी फीस की छूट दिनांक 2.2.2017 के बाद वर्तमान तक (दि.15.08.2019 तक है) अथवा उसके बाद की जानकारी आपने अपने पत्र में स्पष्ट नहीं की है।

(8) फर्म– रतन एग्री फूड्स प्रायवेट लिमिटेड द्वारा मण्डी फीस से छूट दिनांक 3 सितम्बर,2019 की स्थिति में न केवल जावरा मण्डी बल्कि अन्य मण्डी क्षेत्रों से क्रय की गई कृषि उपज पर कितनी छूट मण्डी शुल्क की प्राप्त की गई जिनकी अनुज्ञा आपकी मण्डी में उपलब्ध है, की समीक्षा करें और सही जानकारी प्रमाणीकरण के साथ दिनांक 11.11.2019 तक अनिवार्यतः अर्द्ध शासकीय पत्र से मुख्यालय की अनुज्ञा शाखा को बताया जाए। अगर मण्डी शुल्क की छूट में फर्म द्वारा दी गई जानकारी में आपके पत्र द्वारा कराए गए संशोधन में भिन्नता पाई जाती है तो अंतर की राशि मण्डी सचिव/संबंधित कर्मचारी उत्तरदायी होंगे।

( डॉ. केदार सिंह )
अपर संचालक(नियमन)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ. क्रमांक / बी-5/2/ई-अनुज्ञा/2019-20/ 1252 भोपाल, दिनांक 04 / 11 / 2019

<u>प्रतिलिपिः–</u>

संयुक्त संचालक / उप संचालक(समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय भोपाल / नर्मदापुरम / इंदौर / उज्जैन / ग्वालियर / चंबल / सागर / जबलपुर / रीवा की ओर भेजकर लेख है कि अपने–अपने क्षेत्रांतर्गत स्थित फर्मों / इकाईयों द्वारा मण्डी फीस से छूट प्राप्त करते समय उनकी नियत की गई अवधि से वर्तमान तक प्रदेश के सभी मण्डी समितियों से क्रय की गई उपज से कितनी छूट प्राप्त की गई है कि समीक्षा करें और उसमें यदि अंतर पाया जाता है तो तत्काल सुधार हेतु संबंधित कर्मचारी को मुख्यालय की ई–अनुज्ञा शाखा में भेजें।

अपर संचालक(नियमन)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल